फर्द अहकाम

गोकुल वगै0 बनाम शिवदासपुरा गृह निर्गाण सहकारी लि0 वगै0

संख्या: 193 / 2024

...क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
..08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। बहस उभयपक्षकारान की पत्रावली में सुनी गई दौराने बहस वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या वादीगण के 1 स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.16 हैक्टयर ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करें, खसरा नम्बर 286 व 289 के मध्य बने सीमा (मेड) मे किसी प्रकार की तोडफोड न करें, तथा बिना सीमाज्ञान करवाये उस पर प्लांटिंग न करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कर कब्जा न करे तथाा वादीगण को बेदखल करने का प्रयास न करें ऐसा प्रतिवादीगण न तो स्वंय करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या दिगर व्यक्ति से करावे। वादीगण की भूमि का खसरा नम्बर 286 रकबा 0.16 हैक्टयर ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमांकन करवाया जाकर स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जावे। दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादीगण के वाद पत्र को मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 काउन्टर क्लेम के जरिये वादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 0. 40 हैक्टयर की पूर्वी व पश्चिमी सीमा में अतिक्रमण कर खसरा नम्बर 289 रकबा 0.40 हैक्टयर भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करे और प्रतिवादी संख्या 1 के उपयोग उपभोग मे कोई बाधा या अवरोध कारित नही करे। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व इस आशय कि आज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 289 रकबा 0.40 हैक्टयर के पूर्वी व पश्चिमी सीमा का सीमांकन ... स्थाई सीमाचिन्ह कायम किया जावे। बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन ... पर वादीगण की ओर से पेश वाद एवं प्रतिवादी ... की ओर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:35:37 IST
Reason: SelfAttested

8.2024

गोकुल वगै0 बनाम शिवदासपुरा गृह निर्माण सहकारी लि0 वगै0

वाद संख्या: 193/2024

से पेश काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी को निर्देश दिये जाते है की एक माह के अन्दर विवादग्रस्त भूमि की सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वाके ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि का सीमाचिन्ह कायम करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि सीमाज्ञान नही होने मौके पर किसी तरह का कब्जा नही करे। सीमाज्ञान होने के पश्चात् दोनो पक्षकारान एक–दूसरे की सीमा में दखल नही दे, पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:35:37 IST
Reason: SelfAttested